(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/3477 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-08-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 369/अपील/14-15

मंजू जैन पिता स्व. धरमचन्द सांड पति शेखर जैन
निवासी 25 रवि नगर खजराना रोड इंदौर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-माणकचन्द पिता वख्तावरमल सांड
मृतक तर्फे वारिसान :-
(1)-नेमीचन्द पिता माणकचंद सांड
(2)-पारसकुमार पिता माणकचंद सांड
(3)-अभयकुमार पिता माणकचंद सांड
(4)-अचला संचेती पिता माणकचंद सांड पति वरेन्द्रसिंह
सभी निवासी 38, ओल्ड पलासिया ए0बी0रोड, इंदौर

.....अनावेदक

श्री डी0के0जैन, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पिपल्याहाना की भूमि सर्वे नम्बर 301, 302, 302/2 पैकि रकबा 0.295, 0.759, 0.219 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में फर्म जेठमल बख्तावर के पार्टनर्स बख्तावरमल, माणकचंद धरमचंद के नाम दर्ज थी । भागीदार बख्तावरमल पिता जेठमल की मृत्यु वर्ष 1970 में हो गई है तत्पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन अनुसार रेलिक्विशमेंट डीड क्रमांक 2938 एवं दिनांक 23-9-1997 से धरमचंद ने अपने समस्त हक आवेदक के पक्ष में त्याग दिये थे । उक्त आधार पर विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त आदेश से फर्म से बख्तावरमल का नाम कम करके मात्र माणकचंद का नाम अंकित करने का आदेश दिया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24-9-12 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22-8-17 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश के पेज 3पर यह उल्लेख किया है कि हक त्याग विलेख क्रमांक 3 2938 दिनांक 23-9-1997 के परीक्षण में स्पष्ट किया है कि "हक त्याग विलेखतहसीलदार न्यायालय के पक्षकार माणकचंद के पक्ष में न किया जाकर, पारसकुमार अभयकुमार नेमीचंद एवं अचला संचेती के पक्ष में किया है ।" उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन पत्र को समझने में भूल की जाकर आवेदन निरस्त किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर मौजूद तथ्यों और अन्य विचाराधीन आवेदन पत्रों के निराकरण किये बगैर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया जाना स्वयं प्रकट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण के निराकरण में अत्याधिक जल्दबाजी कर गुणदोषों को नजर अंदाज कर प्रकरण को निराकृत करना चाहता है । यदि न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये बगैर अपील का निराकरण किया जाता है तो आवेदक न्याय से वंचित रह जावेगी जो प्राकृतिक न्याय

के सिद्धांतों के विपरीत है। उनके द्वारा आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकपक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक को हक त्याग दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । यदि वह उसका लाभ लेना चाहेगा तो स्वयं ही पेश करेगा अन्यथा उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा । इसी प्रकार यदि आवेदक अन्य प्रकरण को अपने पक्ष में उपयोग करना चाहता है तो उसे स्वयं सर्टिफाईड प्रतिलिपि लेकर पेश करना चाहिये । अत: अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 23/अ-6-अ/2006-07 की प्रकरण के निराकरण में आवश्यकता नहीं होने के कारण आवेदक का प्रकरण मंगाये जाने संबंधी आवेदन निरस्त किया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसलिये अपर आयुक्तद्वारापारित अंतरिम आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर